

**उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 235वीं बैठक**  
**दिनांक 12 अप्रैल, 2016 का कार्यवृत्त**

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की 235वीं बैठक परिषद अध्यक्ष श्री सदाकान्त, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे :—

1—	श्री सदाकान्त	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2—	प्रो०(डॉ०) सुरभि शुक्ला	उपाध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3—	श्री सिद्धार्थ सिंह	उपाध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
4—	श्री सुशील कुमार टिबड़ेवाल	उपाध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
5—	श्री रुद्र प्रताप सिंह	सचिव/आवास आयुक्त, उ0प्र0वि०प०	सचिव/सदस्य
6—	श्री सुशील कुमार गुप्ता	वित्त नियंत्रक	सदस्य
7—	श्री आर.के.अग्रवाल	मुख्य अभियंता	सदस्य
8—	श्री डी.सी.गुप्ता	वरिष्ठ नियोजक, प्रतिनिधि, सीटीसीपी उ0प्र0	सदस्य
9—	श्री सी.एस.बनौद्धा	उप निदे., प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव सार्व. उद्यम विभाग	सदस्य
10—	श्री आर.एम.त्रिपाठी	अनुसचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, नगर विकास	सदस्य
11—	श्री सुभाष चन्द्र	अनु सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
12—	श्री ओ.पी.मिश्र	मुख्य अभियंता, उपाध्यक्ष, लख.वि. प्राधिकरण, लखनऊ आमंत्री सदस्य	

संवेदन आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद ने निदेशक मण्डल तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की ओर से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। परिषद बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार निर्णय लिये गये :—

### विषय सूची

मद सं०	विषय	निर्णय
235 / 1	परिषद की 234वीं बैठक दिनांक 15 सितम्बर, 2015 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	परिषद की 234वीं बैठक दि० 15.09.15 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
235 / 2	परिषद की 234वीं बैठक दिनांक 15 सितम्बर, 2015 की अनुपालन आख्या।	परिषद की 234वीं बैठक दि० 15.09.15 की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

### भूमि अर्जन अनुभाग

235 / 3	प्रदेश के विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की परियोजनाओं हेतु भूस्वामियों से भूमि आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-३ उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 385 / ८-३-१६-३०९ विविध / 15 दिनांक 21.03.2016 के द्वारा परियोजनाओं हेतु भूस्वामियों से भूमि आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश को अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
235 / 4	विकास नगर (कुर्सी रोड विस्तार) योजना, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम बट्हा सबौली, खसरा सं०-462स	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव का पुनर्परीक्षण कर आगामी बैठक में रखें जाने का निर्णय लिया गया।

	क्षेत्रफल 0.075 हेक्टेर भूमि का विकास शुल्क जमा करते हुये मानचित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।	
235/5	बस्ती—गोरखपुर बाईपास मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या—3 बस्ती की धारा—28 के प्रस्ताव एवं प्रावक्कलन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
235/6	परिषद की महादेव झारखण्डी योजना गोरखपुर के अन्तर्गत स्थित भूखण्ड संख्या 293 व 294 के मध्य खसरा संख्या 120/2 में स्थित पक्के भवन क्षेत्रफल 116.58 वर्गमीटर अर्थात् 0.029 एकड़ पर किये गये अवैध निर्माण का विकास शुल्क एवं पक्के भवन के पीछे रिक्त भूमि क्षेत्रफल 108.00 वर्गमीटर जिस पर जाने का कोई रास्ता नहीं है को आउट आफ कोर्ट सेटेलमेन्ट करते हुए वर्तमान दर पर श्री अयोध्या प्रसाद के पक्ष में आवंटित किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
235/7	मा० निदेशक गण्डल की 232वीं बैठक दिनांक 26.03.2015 के मद संख्या—232/28 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में वृन्दावन योजना संख्या—1, 2, 3 व 4 के हितबद्ध काश्तकारों को 5% भूमि दिये जाने एवं वर्ष 2002 से पूर्व बने निर्माणों के समायोजन हेतु समयावधि बढ़ाये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
235/8	जनपद सीतापुर में आवास विकास की पंचवटी योजना के अन्तर्गत 80 साल पुराने मकान को आवंटित करने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
235/9	इन्दिरानगर विस्तार योजना, लखनऊ के अन्तर्गत स्थित ग्राम समीउददीनपुर के खसरा संख्या 427 के कुल भूमि 0-12-0 बीघा भूमि पर निर्मित धारा—28 से पूर्व बने मकान, ट्यूबवैल शिव मन्दिर की भूमि का क्षेत्रफल 46.93 वर्गमीटर का वर्तमान दर का आसुधार शुल्क लेने एवं अवशेष 1518.00 वर्गमीटर भूमि को वर्तमान दर पर आवंटित किये	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

11/11/

41

	जाने के संबंध में।	
235 / 10	परिषद की इन्दिरानगर योजना, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम—गाजीपुर, सुईदुलनिशा के खसरा सं०—५६३ व ५६४ भूमि में से ५११.१५ वर्ग मी० भूमि को वर्तमान दर पर आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव का पुनर्परीक्षण कर आगामी बैठक में रखें जाने का निर्णय लिया गया।
235 / 11	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की सिकन्दरा योजना, आगरा के अन्तर्गत स्थित खसरा संख्या—७२७/१ मौजा बोदला, तहसील — सदर, जनपद—आगरा पर बनी हुयी आबादी लगभग ४३९.९४ वर्गमीटर के भूखण्ड को वर्तमान आवासीय दर पर श्री ज्योति प्रसाद के पक्ष में आवंटित करने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त, समिति की संस्तुति पर आवेदक का मंतव्य प्राप्त कर, आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
235 / 12	परिषद की भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या—३ झूँसी इलाहाबाद में समाविष्ट आराजी संख्या—२९८ रकबा ९ विस्ता १० विस्वासी स्थित ग्राम—झूँसी कोहना इलाहाबाद का आसुधार शुल्क जमा करके आउट आफ कोर्ट सेटलमेन्ट करते हुए श्री कौशलेन्द्र शुक्ल आदि के पक्ष में समायोजन किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव का पुनर्परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
235 / 13	परिषद की योजना संख्या—१ कानपुर में समाविष्ट आराजी संख्या—६८ के जुज भाग रकबा ५०० वर्ग गज का गठित उच्चस्तरीय समिति की शर्त एवं की गयी संस्तुति के अनुसार वाद वापस लेने के शर्त के अधीन आवेदक श्री गोविन्द लाल के पक्ष में आउट आफ कोर्ट वर्तमान दर पर आवंटित कर समायोजन किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त, समिति की संस्तुति पर आवेदक का मंतव्य प्राप्त कर, आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
235 / 14	कुर्सी रोड विस्तार योजना, लखनऊ में समाविष्ट गाटा संख्या—४७० रकबा १—३—१५ बीघा स्थित ग्राम बटहा सबौली तहसील सदर लखनऊ के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव का पुनर्परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
235 / 15	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की सिकन्दरा योजना, आगरा के सेक्टर—९ में समाविष्ट ग्राम मौजा सिकन्दरा वाहिस्ताबाद परगना व	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव का पुनर्परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जोन का निर्णय लिया गया।

1111

A/

	तहसील व जिला—आगरा के खसरा संख्या—1148, 1149, 1150, 1151 व 1153 क्षेत्रफल 18,670.00 वर्गमीटर भूमि में से 3,000.00 वर्गमीटर भूमि वर्तमान दर पर आवंटित करने के सम्बन्ध में।
--	--

### सम्पत्ति प्रबंध अनुभाग

235 / 16	परिषद की वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर-19 में स्थित स्कूल भूखण्ड के निर्माण हेतु समयवृद्धि के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रकरण माझे न्यायालय में होने के कारण स्थगित किया गया।
235 / 17	वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या—15/कॉम-2 के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त समयवृद्धि प्रस्ताव, एक अंतिम अवसर क्रैंसिप्शन अनुमोदित किया गया।
235 / 18	मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद में आसरा-1, 2 एवं सपना-1, 2 (प्रथम चरण) के फ्लैटों की भूमिदर निर्धारण के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
235 / 19	परिषद की वृन्दावन योजना लखनऊ के सेक्टर-9 में निर्मित पार्किंग की 05 हैक्टेयर भूमि लखनऊ मेट्रो को किराये पर दिये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव से अवगत हुए।
235 / 20	परिषद इन्दिरानगर, योजना के सेक्टर-12 में समाहित ग्राम इस्माइलगंज के खसरा संख्या 319 पर निर्मित 12 नग दुकानों (एकता मार्केट) के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव का द्वितीय अंश (अध्यासित व्यापारियों के मध्य भूमि की नीलामी कराने विषयक) अनुमोदित किया गया।
235 / 21	वृन्दावन योजना स्थित पेट्रोल पम्प भूखण्ड संख्या 6ए/एफ०एस० के विरुद्ध आरोपित दण्ड ब्याज/ब्याज के माफी के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त कार्योत्तर स्वीकृति को अवलोकित किया गया।

### वित्त एवं लेखानुभाग

235 / 22	आयकर अधिनियम 1961 की धारा-10 के अन्तर्गत आयकर विभाग द्वारा वॉचिट फार्म-10 दाखिल किये जाने हेतु अधिकृत करने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
235 / 23	वित्तीय वर्ष 2015-16 के पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 के प्रस्तावित आय-व्ययक अनुमान हेतु टिप्पणी।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। कैस फ्लो रु० एक हजार करोड की कमी पर सर्वसम्मति से चिंता व्यक्त की गयी तथा रियल एस्टेट की वर्तमान

		स्थिति के दृष्टिगत पूर्ण दक्षता के साथ कन्सलटेंट से परामर्श लेकर परिषद की वित्तीय रणनीति तैयार की जाये जिसका प्रजेन्टेशन आगामी बैठक में किये जाने का निर्णय लिया गया।
235/24	परिषद के वित्तीय वर्ष 2014-15 के वार्षिक लेखों के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

### समन्वय अनुभाग

235/25	परिषद की योजनाओं में स्थित स्टाफ भवनों को अनारक्षित कर उनमें अध्यासित कार्मिकों के पक्ष में निजीतौर पर आवंटित करने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव का पुनर्परीभण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
--------	--	---

### प्रशासन अनुभाग

235/26	सम्पत्ति निरीक्षक की सेवा विनियमावली निर्मित किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
235/27	सहायक विधि अधिकारी की सेवा विनियमावली निर्मित किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
235/28	दिनांक 01.07.2015 से महंगाई भत्ता, पुनरारक्षित दर से अनुमन्य किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त कार्योत्तर स्वीकृति विषयक प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
235/29	राजकीय सेवा में पति तथा पत्नी दोनों के कार्यरत होने एवं एक ही आवास में रहने पर पति तथा पत्नी दोनों को मकान किराया भत्ता अनुमन्य किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रस्ताव विषयक शासनादेश संख्या 1/2015/ जी- 1- 01/दस- 2015 -226/2008 टी०सी० - ॥ दिनांक 11.02.2015 को अंगीकार किये जाने का निर्णय लिया गया।
235/30	वर्ष 2014-15 की अनुग्रह धनराशि (एक्सग्रेसिया) के भुगतान के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त कार्योत्तर स्वीकृति विषयक प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
235/31	परिषद के पेंशनरों को दिनांक 01.07.2015 से महंगाई भत्ता, पुनरारक्षित दर से अनुमन्य किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त कार्योत्तर स्वीकृति विषयक प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
235/32	श्री मुदित गर्ग, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त कार्योत्तर स्वीकृति विषयक प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा नियुक्ति

www

अग्रणी

५८

	प्राधिकरण में आमेलन की अनुमति प्रदान करते हुए कार्यमुक्त किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।	विभाग, उ0प्र0 शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19.11.1959 एवं 'उत्तर प्रदेश सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी सेवकों का आमेलन नियमावली-1984' को परिषद में अंगीकृत किये जाने का भी निर्णय लिया गया।
235 / 33	निजी सचिव के कार्मिकों को स्टाफ आफीसर के पद पर प्रोन्नति का अवसर प्रदान किये जाने हेतु निजी सचिव के पद पर अनिवार्य सेवा 05 वर्ष के स्थान पर 03 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
235 / 34	प्रदेश के राजकीय विभागों, स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों एवं जिला पंचायतों में दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 तक नियुक्त दैनिक वेतन/वर्कचार्ज एवं संविदा के कार्मिकों का विनियमितीकरण के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
235 / 35	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद (एप्पाइटमेन्ट एण्ड कंडीशन्स आफ सर्विस आफ चीफ इंजीनियर) रेगुलेशन्स-1990 में संशोधन के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
235 / 36	रिट याचिका संख्या-6735/1985 नैपाल सिंह बनाम परिषद व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.02.2005 को पारित निर्णय व आदेश के अनुपालन में, याची श्री नैपाल सिंह, भूतपूर्व अधिशासी अभियन्ता को अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति किये जाने प्रकरण में विचार किये जाने हेतु गठित रिव्यू चयन समिति की बैठक दिनांक 17.03.2016 के कार्यवृत्त के अनुमोदन के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
235 / 37	परिषद के समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पूर्व की भौति 10 वर्ष की सेवा पर प्रथम प्रोन्नति ग्रेड वेतन रु 1900.00 के स्थान पर सहायक श्रेणी-3 (कनिष्ठ सहायक) का वेतनमान रु 2000.00 एवं 16 वर्ष की सेवा पर द्वितीय प्रोन्नति ग्रेड वेतन रु 2400.00 के स्थान पर	सर्वसम्मति से यह विचार किया गया कि शासन द्वारा विभिन्न संवर्गों में संवर्गीय ढांचे में परिवर्तन किया गया है, इसलिये एकरूपता लाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया कि आवास आयुक्त एक समिति गठित करें जिसमें शासन के वित्त एवं कार्मिक विभाग के सदस्य नामित हो। समिति की संस्तुति आने पर बैठक में

	सहायक श्रेणी-2 (वरिष्ठ सहायक) का वेतनमान ₹0 2800.00 प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	रखें जाने जाने का निर्णय लिया गया।
235 / 38	दिनांक 01.01.2006 से समयमान वेतनमान के अन्तर्गत उच्चीकृत ग्रेड वेतन का वास्तविक लाभ दिनांक 14.01.2010 से प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	मद सं0 235 / 37 की भाँति।

### अभियंत्रण अनुभाग

235 / 39	परिषद में निर्माण एवं विकास कार्यों हेतु सिकोयर्ड एडवान्स, मोबिलाइजेशन एडवान्स एवं टी० एण्ड पी० एडवान्स दिये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त, सीवीसी की गाइड लाईन्स का अनुसरण करते हुए, प्रश्नगत प्रस्ताव पर लखनऊ एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में सीवीसी की संस्तुति पर हो रही कार्यवाहियों के परीक्षण कर, आगामी बैठक में रखें जाने का निर्णय लिया गया।
235 / 40	मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद में प्रस्तावित 60.00 मी० चौड़ी मास्टर प्लान रोड पर राजमार्ग-57 (दिल्ली -सहारनपुर-राजमार्ग) को पार करने हेतु प्रस्तावित चार लेन फलाई ओवर का निर्माण कार्य (उ०प्र० राज्य सेतु निगम द्वारा)।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
235 / 41	परिषद की अहस्तान्तरित योजनाओं में विभिन्न प्राईवेट एजेन्सीज को विज्ञापन पट लगाये जाने की अनुमति दिये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
235 / 42	अवध विहार योजना, लखनऊ में अवध शिल्प ग्राम (लखनऊ हाट) के संचालन एवं रखरखाव के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

### वार्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

235 / 43	मेरठ महायोजना 2021 के अनुसार तेजगढ़ी चौराहे से हापुड़ मार्ग को जोड़ने वाली 45 मी० चौड़ी सड़क पर स्थित भूखण्ड संख्या- ई-6, शास्त्री नगर योजना संख्या-3 मेरठ हेतु मिश्रित भू-उपयोग अनुमत्य किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
----------	--	---

235 / 44	मैसर्स जयपुरिया इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0-4ए/जी0एच0-3 एवं 4 वृन्दावन योजना लखनऊ में बेसिक एफ0ए0आर0 को क्रय योग्य एफ0ए0आर0 के रूप में अनुमत्य किये जाने सम्बन्धी गणना पत्र को शासनादेश संख्या 3589/आठ-3-2011-11 विविध/08 दिनांक 4-8-2011 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार संशोधित किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
235 / 45	वृन्दावन योजना के सेक्टर-2ए में स्थित संस्थागत भूखण्ड संख्या-2ए/आई0एन0एस0-1सी व 2ए/आई0एन0एस0-2 के भू-उपयोग परिवर्तन के उपरान्त ग्रुप हाउसिंग उपयोग अनुमत्य किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव निरस्त किया गया।
235 / 46	परिषद की यू0पी0आई0एल0 योजना लखनऊ स्थित सिटी माण्टेसरी स्कूल को आवंटित भूखण्ड के एफ0ए0आर0 के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रकरण को सामाजिक एवं जनहित में उपयोग की दृष्टि से विशेष मानते हुए इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि भूखण्ड पर निर्मित निर्माण का शमन नियमानुसार देय शुल्क सहित अनुमत्य किया जाय, साथ ही शैक्षिक प्रयोजन हेतु वांछित सेट-बैक, अग्निशमन स्ट्रक्चरल सेफ्टी, खुले स्थान, पार्किंग आदि मानकों का उल्लंघन न हो व ऐसे निर्माण को स्थल से हटा दिया जाय जो कि उक्त अनुपालन की परिधि में न आता हो। निर्मित निर्माण में 1.56 एफ0ए0आर0 से अतिरिक्त शुल्क भी प्राप्त किया जाय।

### भूमि अर्जन अनुभाग

235 / 47	परिषद की दिल्ली बुलन्दशहर बाईपास मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (सिद्धार्थ विहार) गाजियाबाद में समाविष्ट सहकारी आवास समितियों की भूमि समायोजन के फलस्वरूप उनको देय भूमि के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव से अवगत हुए।
235 / 48	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, चिनहट देवां मार्ग भूमि विकास एवं	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	गृहस्थान योजना, बाराबंकी (ग्राम-खजूर गांव)" को धारा-28 हेतु प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	
235 / 49	वृन्दावन योजना संख्या-4 लखनऊ के अन्तर्गत वर्ष 2002 से पूर्व के स्थित निर्माणों के समायोजन के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव निरस्त किया गया।
235 / 50	योजना संख्या-7 शास्त्रीनगर मेरठ में समाविष्ट खसरा संख्या-4044 क्षेत्रफल 2-3-0 बीघा अर्थात् 5438.00 वर्ग मीटर भूमि के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
235 / 51	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद वसुन्धरा काम्पलेक्स सेक्टर-16, गाजियाबाद द्वारा अधिग्रहीत आबादी की जमीन को अधिग्रहण से मुक्त करने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रकरण में परिवारिक विवाद होने के कारण, प्रस्ताव का पुनर्परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
235 / 52	नगरीय विकास प्रभार शुल्क के निर्धारण से सम्बन्धित आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के अधिसूचना संख्या- 2122 /8-3-14-211 / विविध / 13 दि0 17.11.2014 के द्वारा नगरीय विकास प्रभार शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण और संग्रहण नियमावली 2014 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त नगरीय विकास प्रभार शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण और संग्रहण नियमावली 2014' को अंगीकार किया गया।
235 / 53	विकास शुल्क के निर्धारण से संबंधित आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के अधिसूचना संख्या-1811 / 8-3-14-211 / विविध / 13 दिनांक 17.11.2014 के द्वारा "उ0प्र0 नगर-योजना और विकास (विकास का शुल्क निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली 2014" को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त "उ0प्र0 नगर-योजना और विकास (विकास का शुल्क निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली 2014" को अंगीकार किया गया।
235 / 54	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की सुल्तानपुर रोड योजना (अवध विहार योजना, लखनऊ एवं मै अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि�0, लखनऊ द्वारा विकसित की जा रही हाइटेक टाउनशिप हेतु ग्राम बरौना की 74.876 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त परिषद के पूर्व निर्णय में प्रस्तावित संशोधन के साथ प्रस्ताव अनुमोदित। शासन को सुविचारित प्रस्ताव भेजने तथा देय धनराशि को मै0 अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि�0, लखनऊ से किश्तों में वसूली का सुविचारित प्रस्ताव आगामी बैठक में रखें जाने का निर्णय लिया गया।

www)

A/

### लेखा अनुभाग

235 / 55	परिषद में शिड्यूल्ड बैंक यथा एच०डी०एफ०सी० एवं एक्सेस बैंक में कलेक्शन आदि की राशि के लेन-देन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
235 / 56	आयकर के सम्बन्ध में अध्यावधिक स्थिति एवं व्याख्यात्मक टिप्पणी।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

### प्रशासन अनुभाग

235 / 57	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के रिक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
235 / 58	सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति हेतु अनिवार्य दो वर्ष के "नान फील्ड जाब" की अवधि को शिथिल किए जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

### सम्पत्ति प्रबंध अनुभाग

235 / 59	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की आवासीय एवं अनावासीय सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु पुनरीक्षित विनियमों के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव का सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया। विनियमावली का प्रजेन्डेरण आगामी बैठक में किये जाने का निर्णय लिया गया।
235 / 60	परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद में बल्क सेल भूखण्ड संख्या-4/बी०एस०-१ एवं 4/बी० एस०-५ के भुगतान शिड्यूल को रिशिड्यूल किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव आगामी बैठक में रखें जाने का निर्णय लिया गया।

### अनुशासनिक अनुभाग

235 / 61	श्री भूप लाल, अवर अभियंता(विद्युत) को दिये गये दण्ड के विरुद्ध अपील पर पुनः पुनर्विचार के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त पुनः पुनर्विचार अपील में कोई नवीन तथ्य न होने के कारण प्रस्ताव निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।
----------	--	---

### पंजीकरण अनुभाग

235 / 62	वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद में मा० न्यायमूलि, श्री राजीव शर्मा को आवंटित भूखण्ड संख्या-16ए/2037 के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव निरस्त किया गया।
----------	--	---

A:

## अनुशासनिक अनुभाग

235 / 63	सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद 351ए को परिषद में अंगीकृत किये जाने के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद 351ए को परिषद में अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
----------	--	---

## अभियन्त्रण अनुभाग

235 / 64	परिषद की राजाजीपुरम योजना, लखनऊ के सेक्टर-6 में स्थित मिनीइण्डोर स्टेडियम को अनुरक्षण आदि हेतु प्राइवेट संस्था को दिये जाने के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव का पुनर्परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
----------	--	---

## भूमि अर्जन अनुभाग

235 / 65	परिषद की महोली गृहस्थान योजना संख्या-2 मथुरा की मौजा पाली खेड़ा तहसील व जिला मथुरा के खसरा सं0 1 तथा 14 की 3.51 एकड़ भूमि का विकास शुल्क लेकर योजना में समायोजित/आवंटित किये जाने के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
----------	--	---

## सम्पत्ति प्रबंध अनुभाग

235 / 66	परिषद की वृन्दावन योजना सं0-4 लखनऊ के सेक्टर-20 के अन्तर्गत कल्ली पश्चिम के कास्तकार/भू-स्वामियों से ली जा रही निजी भूमि के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
235 / 67	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय	परिषद मुख्यालय के पुराने भवन के स्ट्रोक्चर (Structure) की सेफ्टी (Safety) को ध्यान में रखते हुए केवल छतों को बदलने एवं निर्माण कार्य व पार्किंग बनाने के सम्बंध में सम्यक् विचार किया गया तथा इस सम्बंध में आई.आई.टी., कानपुर से परामर्श करके सुविचारित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

## अनुमोदित

*hmk*  
(सदाकान्त)  
अध्यक्ष

१२५।।।